अध्याय-4

प्रादेशिक स्तर पर प्रचार कार्य दौरा और निरीक्षण

संयुक्त निदेशक/प्रादेशिक अधिकारी अपने रीजन की इकाइयों का दौरा करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए प्रत्येक माह उन्हें बाहर रहना पड़ता है तथा कम से कम दो या तीन इकाइयों का दौरा करना पड़ता है । अपने दौरे के दौरान वह इकाई का निरीक्षण करते हैं और वापसी पर निदेशालय को निर्धारित प्रोफर्मा में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । रिपोर्ट में वह अलग से उल्लेख भी करते है कि उन्होंने अपने स्तर से क्या कार्रवाई की या क्या कार्रवाई कर रहे हैं और निदेशालय स्तर पर कार्रवाइ करने के लिए उन्हें सलाह भी देते हैं । इकाई के कुछ समस्याओं का समाधान संयुक्त निदेशक द्वारा तत्काल कर दिया जाता हैं । इकाई के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तथा अन्य सदस्यों का वे मार्ग दर्शन करते हैं कि वे महत्वपूर्ण मामलों को कैसे निपटायें । निरीक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि इकाई के कार्यों में सुधार हो सके । इकाई कार्यालय का निरीक्षण जिसमें रिकार्डों आदि की जांच शामिल होता है, के अलावा संयुक्त निदेशक क्षेत्र में भी जाते हैं और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्रचार सहायक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को देखते हैं । यदि कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता दिखती है तो वे इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं ।

प्रभावकारी समन्वय

क्षेत्र स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रभावकारी समन्वय हेतु संयुक्त निदेशक की पहल इकाइयों के कुशल एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने के हित में होता है । इसके लिए उन्हे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सम्पर्क करना पड़ता है । उनमें मुख्यतः जो विभाग होते हैं वे हैं- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, कृषि, सहकारी, एवं परिवार कल्याण, मद्यनिषेध आदि ।

अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति(आई एम पी सी सी) एक ऐसा फोरम है जिसका संचालन राज्य स्तर से होता है । राज्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सबसे वरिष्ठ अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है और केन्द्र तथा राज्य सरकार के ऐसे संगठनों, जो विकास कार्यों से सम्बद्ध हो अथवा प्रत्पक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार कार्यों से जुड़े हो, अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लिया जाता है ।

विशेष अभियान

सभी प्रचार कार्य परिवर्तन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है । यद्यपि क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां अपने क्षेत्र में सतत रूप से प्रचार कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, फिर भी संयुक्त निदेशक चयनित विषय पर विशेष अभियान चलाने की पहल करते हैं ताकि प्रयास की गति को और बढ़ाया जा सके । किसी विशिष्ट वर्ग या खास क्षेत्र में पहुंच के लिए प्रस्तावों पर अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है और तब समिति कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अभियान की रूपरेखा तैयार करती है । क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों का दल तथा राज्य सरकार के संगठनो द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यकर्ता और सामग्री सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुये मिल जुल कर कार्य करते है ।

प्रायः दो प्रकार से विशेष अभियान चलाये जाते हैः- "बहु माध्यम अभियान" तथा "गहन प्रचार अभियान" । बहु माध्यम अभियान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोगी माध्यम एककों की भागीदारी शामिल होती है । जैसे गीत एवं नाटक प्रभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रदर्शनी विंग, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना विभाग, ये सभी अभियान से जुड़े होते है । इनका उद्देश्य, सभी दूसरे माध्यमों तथा संबंधित व्यक्तियों को साथ मिलाकर, किसी एक विषय पर ध्यान केन्द्रित करना होता है ताकि चयनित क्षेत्रों के लोग संचार माध्यम के सभी एककों से, संबंधित विषय पर एक साथ अथवा सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त कर सके ।

संयुक्त निदेशक स्थानीय दशा को देखते हुए अपने रीजन अथवा पास के रीजन के इकाइयों की सहायता से गहन प्रचार अभियान चलाते हैं । ये इकाइयां किसी खास विषय पर गहन प्रचार कार्यक्रम आयोजित करती हैं तथा एक सघन क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों व कस्बों के निवासियों को लाभान्वित करती है और उस विशेष क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती हैं । इन इकाइयों से कहा जाता है कि वे एक योजना क्रम के तहत चुने हुए स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करें । अन्य माध्यम एककों की भागीदारी से, रफतार में तेजी लाने में मदद मिलती है तथा संबंधित अधिकारियों तथा गैर सरकारी एजेन्सियों के साथ अनुकूल समन्वय, कार्य के प्रसार के नाम पर समय से अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं । इसी कारण जहां तक हो सके उन्हें शामिल किया जाना चाहिए ।

वार्ता विन्दु

सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति तथा उससे लोगों को मिलने वाले लाभ और प्रचार से संबंधित विषयों में हुई उन्नति के बारे में नवीनतम सूचना से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को अवगत कराने हेतु समय-समय पर वार्ता-विन्दु जारी किया जाता है । यह संबंधित विषय पर सरकार की पहुंच तथा सूचना की पृष्ठ भूमिका उपलब्ध कराता है । यद्यपि निदेशालय (मुख्यालय) द्वारा जारी किए गए वार्ता विन्दु राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित होते है, फिर भी संयुक्त निदेशक इसमें अपने क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक सूचना जोड़ देते है और स्थानीय समस्याओं और स्थिति के संदर्भ में सरकार के कार्यक्रम पर बल प्रदान करते हैं । निदेशालय वार्ता विन्दु हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में जारी करता है और सयुक्त निदेशक (रीजन) अपने स्तर से अपने - अपने क्षेत्र में उसे क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं । संयुक्त निदेशक का नाम स्थानीय पत्र सूचना कार्यालय, राज्य सूचना विभाग, राज्य कृषि विभाग, योजना, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय वचत आदि के डाक-सूची में शामिल रहता है । किसी भी सामजिक विषय पर संयुक्त निदेशक (रीजन) अपनी तरफ से सूचना एकत्र करने की पहल करते हैं, वार्ता बिन्दु तैयार करवाते हैं तथा उसे उचित मार्गदर्शन के साथ संबंधित विषयों पर आयोजित किए जाने वाल प्रचार कार्यक्रम हेतु अपनी इकाइयों को भेजते हैं । सूचना एकत्र करने के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना सही तथा अविवादित स्थल से प्राप्त की गयी हो और किसी भी दशा में यह सूचना किसी अनधिकृत साधन से नहीं प्राप्त की गयी हो । संयुक्त निदेशक (रीजन) अपने क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं कि निदेशालय अथवा उनके कार्यालय से जारी किया गया वार्ता-विन्दु मौखिक संदेश कार्यक्रम में प्रयोग के लिए है । ये वार्ता-विन्दु पूरी तरह से क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होता हैं और इसे प्रेस तथा जनसमुदाय को नहीं जारी किया जाना चाहिए ।